न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

1. श्री गजानन्द प्रजापत पुत्र जगदीश जाति प्रजापत (विक्रेता)
   स्थायी निवासीः–खारिया तालाब के पास, परबतसर जिला नागौर।
   फर्मः–प्रजापत मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास, परबतसर जिला नागौर।
2. श्री जगदीश प्रजापत पुत्र पेमाराम जाति प्रजापत (मालिक)
   स्थायी निवासीः–खारिया तालाबके पास, परबतसर जिला नागौर।
   फर्मः–प्रजापत मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास, परबतसर जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः– 11 / 2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा–51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री अशोक भाकर।
2. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।

–ःनिर्णय ः–

दिनांक :–20.09.2021

(1)संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को समय 04:40 पी.एम. पर फर्म प्रजापत मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास, परबतसर जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति गजानन्द प्रजापत पुत्र जगदीश प्रजापत जाति प्रजापत विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

संस्थान का मालिक जगदीश प्रजापत पुत्र पेमाराम, निवासी–खारिया तालाब के पास, परबतसर का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 06 किलो मावा पेड़ा मिठाई कांच के काउन्टर के अन्दर एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखी हुई थी। विक्रेता से पूछने पर दूध व चीनी से निर्मित होना बताया जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह मावा पेड़ा मिठाई का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में कांच के काउन्टर में एक लोहे की ट्रे में रखे लगभग 06 किलो मावा पेड़ा मिठाई को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो मावा पेड़ा मिठाई तुलवाकर स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 440/–(अक्षरे चार सौ चालीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **Q**–1393 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता गजानन्द प्रजापत एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री रामदेव, वार्ड बॉय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 03.11.2020 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 03.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा.) जयपुर का पत्रांक 823 दिनांक 23.10.2020 प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्र महोदय के निर्देशानुसार राज्य 26.10.20 से 14.11.20 चलाये जा रहे "**शुद्ध के लिए युद्ध अभियान**" के अन्तर्गत किये गये नमनीकरण/निरीक्षण एवं अन्य कार्यो की प्रभावी क्रियान्विति हेतु अभियान अवधि में राजकीय अवकाश दिवसो में राज्य में संचालित केन्द्रीय जन प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान कार्य दिवसों की भांति खुली रहेगी। जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य.अधिकारी,नागौर.के पत्रांक–चिकि/**FSSA**/जांच रिपोर्ट/2020/620–21 दिनांक.25.11.2020.के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या **L.S/461/Act/2020/246** दिनांक 05.11.2020 से खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई,

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता गजानन्द प्रजापत से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई का नमूना Q–1393 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51 के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने फर्म को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/620–621 दिनांक 25.11.2020 प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(5) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा–51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(6) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तों को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 14.07.2021 को अभियुक्तों गजानन्द प्रजापत व जगदीश प्रजापत ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस मावा पेड़ा मिठाई का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(7) प्रकरण में अभियुक्तों द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 08.09.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अभियुक्तों द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(8) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 02. 11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 04:40 पी.एम. पर फर्म प्रजापत मिष्ठान भण्डार, बस स्टेशन के पास, परबतसर जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति गजानन्द प्रजापत पुत्र जगदीश जाति प्रजापत, निवासी–खारिया तालाब के पास, परबतसर, जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मावा पेड़ा मिठाई आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक जगदीश प्रजापत पुत्र पेमाराम जाति प्रजापत का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(9) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 06 किलो मावा पेड़ा मिठाई एक कांच के काउन्टर के अन्दर एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। विक्रेता से पूछने पर दूध व चीनी से निर्मित होना बताया जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह मावा पेड़ा मिठाई का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त कांच के काउन्टर में रखे हुए लगभग 06 किलो मावा पेड़ा मिठाई को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो मावा पेड़ा मिठाई तुलवाकर स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 440/–(अक्षरे चार सौ चालीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1393 को नियमानुसार गोद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता गजानन्द प्रजापत एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–प्रजापत मिष्ठान भण्डार बस स्टेशन के पास, परबतसर, जिला नागौर, विक्रेता गजानन्द प्रजापत पुत्र जगदीश जाति प्रजापत, निवासी–खारिया तालाब के पास, परबतसर जिला नागौर से खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री रामदेव, वार्ड बॉय, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 03.11.2020 को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 03.11.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/461/Act/2020/246 दिनांक 05.11.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Mawa Peda** sweets bearing Code No. and Sr. No. **Q-1393** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Sub-standard** as the extracted fat does not conform to the standards of milk fat as prescribed under food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई की जांच रिपोर्ट संख्या LS/461/Act/2020/246 दिनांक 05.11.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता गजानन्द प्रजापत से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा पेड़ा मिठाई का नमूना Q–1393 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 51:–अवमानक खाद्य के लिए शास्तिः–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/620–621 दिनांक 25.11.2020 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है। किन्तु इन्होने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1393 जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म प्रजापत मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास, परबतसर जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 के तहत अभियुक्त गजानन्द प्रजापत पुत्र जगदीश प्रजापत जाति प्रजापत व जगदीश प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत जाति प्रजापत, निवासी–खारिया तालाब के पास, परबतसर, जिला नागौर, फर्मः–प्रजापत मिष्ठान भण्डार, बस स्टेशन के पास, परबतसर जिला नागौर पर राशि रुपये 26000/–(अक्षरे रुपये छब्बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(11) आदेश दिनांक 20.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना